(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ कारपोरेट निकाय भी आतंकवादी क्रियाकलापों को वित्तीय सहायता देने का अपराध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपराध में शामिल किसी निजी कंपनी के अधिकारी की पहचान के बिना इस स्थिति को विधिक रूप से कैसे सुलझाया जाता है;

(ग) क्या वर्ष 2010 और 2011 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए अपनायी गयी कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) से (घ) : उपलब्ध जानकारियों और केन्द्रीय आसूचना/सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है, जिससे भीतरी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में कारपोरेट निकायों की संलिप्तता का पता चल सके। विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यू ए पी ए) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में आतंकवादियों के वित्तपोषण तथा आतंकवाद की आय से लाभन्वित होने, दोनों के विभिन्न पहलू व्यापक रुप से शामिल हैं। यू ए पी ए ऐसा विशिष्ट मामला प्रकाश में आने पर संघ सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही एजेंसियों को कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है।**